भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1339
सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)

निजी रोजगार पोर्टल के साथ सहयोग

1339. श्री बृजेन्द्र सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने, बेरोजगारी को कम करने और रोजगार बाजार को और अधिक गतिशील बनाने के उद्देश्य से कोई पहल की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने कर्मी वर्ग के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए निजी रोजगार पोर्टलों अथवा नियोक्ताओं के साथ कोई सहयोग किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) इस हेतु राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के साथ भागीदारी बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लेकर आई है जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन केंद्रों के माध्यम से, उम्मीदवारों को उद्योग और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सरकार "शिक्षुता और कौशल में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा योजना (श्रेयस)" का कार्यान्वयन कर रही है, जो मुख्य रूप से गैर-तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उनकी शिक्षा में रोजगार-परक कौशल को शामिल करके शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना है और शिक्षा प्रणाली के रोजगार को सुविधाजनक बनाने वाले प्रयासों को भी एकीकृत करना है ताकि छात्रों को स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान और उसके बाद रोजगार के अवसरों के सही मार्ग उपलब्ध हों सकें।

सरकार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

सरकार एक डिजिटल प्लेटफार्म (www.ncs.gov.in) के माध्यम से विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं जैसे नौकरी ढूंढने और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है। सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल द्वारा साझेदारी को बेहतर बनाने और उसे मजबूत करने के लिए एकीकरण/सहयोग के रूप में किए गए प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

क. एनसीएस पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर नियोक्ता और रोजगार चाहने वालों को आपस में जोड़ने के लिए एक व्यापक नेटवर्क विकसित करने हेतु देश भर के 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एकीकृत किया गया है।

ख. एनसीएस ने देश भर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु कई निजी पोर्टलों/जॉब पोर्टलों जैसे टीसीएस-आईओएन, मॉन्स्टर.कॉम, फर्स्ट जॉब, हायरमी, टीमलीज, वीएसएस टैक, क्विकर इंडिया, क्वेस कॉर्प, फ्रेशर्सवर्ल्ड आदि के साथ एकीकरण किया है।

ग. एनसीएस ने विभिन्न व्यावसायिक कौशल कार्यक्रमों (डीडीयू-जीकेवाई, पीएमकेवीवाई आदि) के कौशल प्रमाणित उम्मीदवारों को एनसीएस पोर्टल पर पंजीकृत करने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कौशल भारत पोर्टल के साथ भी जोड़ा गया है।

घ. एनसीएस पोर्टल को उद्यम पंजीकृत एमएसएमई के एनसीएस पोर्टल पर नियोक्ता के रूप में सहमति-आधारित ऑटो पंजीकरण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के उद्यम पोर्टल के साथ, एकीकृत किया गया है।

ङ. एनसीएस पोर्टल को असंगठित कामगारों को उनकी सहमति के आधार पर एनसीएस पोर्टल पर ऑटो पंजीकरण के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

*****